न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन मथुरा

वाद संख्या 950 सन् 2020

ठा. केशवदेव जी महाराज बनाम इन्तजामियाँ कमेटी आदि

श्रीमान जी,

सविनय निवेदन है कि उपरोक्त वाद वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया है कि ठाकुर केशव देव जी महाराज विराजमान मन्दिर कटरा केशवदेव, कि जिसका रकवा 13.37 एकड़ है, के स्वामी हैं, कि जिसमें बने हुए ठाकुरजी के भव्य मन्दिर को औरंगजेब द्वारा तुड़वाकर मन्दिर के ही पत्थरों से उक्त स्थान पर एक ढाँचा, कि जिसे ईदगाह कहा जाता है, बनवा दिया। उक्त ढाँचे में मन्दिर के ही पत्थर इत्यादि लगे हैं, जिन पर मौजूद पच्चीकारी हिन्दू स्थापत्यकला को दर्शाती है। विभिन्न स्थानों पर लगे पत्थरों पर उसे देखा जा सकता है। अलावा इसके तमाम पत्थर पलट कर लगा दिये गये है, जिनसे भी आभास होता है कि उन पर उसी प्रकार की स्थापत्यकला की पच्चीकारी मौजूद है, समय–समय पर विभिन्न इतिहासकारों यथा जदुनाथ सरकार; प्रभूदयाल मीतल, एफ.एस. ग्राउस, विदेशी यात्री वेनशांग, फागशांग आदि ने भी अपनी विभिन्न पुस्तकों में उक्त स्थल के विषय में विस्तृत विवरण उद्‌धृत किया है और जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त कटरा केशवदेव की सम्पूर्ण भूमि भगवान श्रीकृष्ण के भव्य मन्दिर की उनके जन्मस्थल के तौर पर रही है। यहाँ यह उल्लिखित करना भी महत्वपूर्ण होगा कि सम्पूर्ण भारतवर्ष में जहाँ–जहाँ सनातन धर्मावलम्बियों के आराध्यों राम, कृष्ण, शिव आदि के मन्दिर रहे हैं, उन्हें मुगल व यवन आक्रान्ताओं द्वारा केवल अपनी बर्बरता दिखाने के उद्‌देश्य से उन्हें तोड़ा गया और उनके स्थान पर मुस्लिम धर्म के प्रतीक चिन्हों यथा मस्जिद ईदगाह की शक्ल में ढाँचे उन्हीं मन्दिर की निर्माण सामिग्री से बना दिये गये तथा उन्हीं आक्रान्ताओं द्वारा यहाँ के हिन्दू जनमानस को मृत्यु भय व आर्थिक प्रलोभन इत्यादि के दबाव में धर्मान्तरण कराकर हिन्दू से मुस्लिम बना दिया गया। भारत में रहने वाले अधिकांशतः मुस्लिम वही धर्मान्तरित हिन्दू हैं। इस देश का विभाजन भी धर्म के आधार पर करते हुए मुस्लिम धर्म के अनुयायियों द्वारा स्वयं के अलग राज्य पाकिस्तान ले लिये गया, परन्तु दुर्भाग्यवश इस देश के हिन्दू समाज को उनके उक्त भव्य मन्दिर, जिनमें उनके आराध्य विराजित थे, उन पर बने हुए ढ़ाँचों को हटवाकर उनकी पूर्व स्थिति सरकारों ने बहाल नहीं करायी, कि जिसके पीछे राजनैतिक तुष्टिकरण भी अहम कारण रहा। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा राम जन्मभूमि प्रकरण में इस विषय पर अपना विस्तृत निर्णय उद्‌घोषित करते हुए यह स्पष्ट तौर पर माना कि तथाकथित बाबरी ढ़ाँचा रामलला के जन्मस्थल मन्दिर को विध्वंश करके खड़ा किया गया और

अन्ततोगत्वा उक्त भूमि को रामलला की भूमि मानते हुए अपना निर्णय पारित किया तथा मुस्लिम पक्ष को सरयू नदी पार अन्य स्थान कथित इबादतगाह/मस्जिद बनाने हेतु दिलवा दी। प्रस्तुत प्रकरण में भी श्रीकृष्ण जन्मस्थान मन्दिर को मुगल शासक औरंगजेब के द्वारा क्षतिग्रस्त कर उस स्थान पर वशक्ल ईदगाह ढ़ाँचा खड़ा कर दिया गया है, कि जिससे प्रतिवादी सं. 1 व 2 अपना सरोकार जाहिर करते हैं। इस प्रकरण के वादी पक्ष, जो कि सामाजिक सद्भाव में भरोसा रखते हैं, वादी सं. 4 व्यक्तिगत तौर पर स्वयं की ओर से प्रतिवादी सं. 1 व 2 को प्रस्तुत प्रकरण को आपसी सद्भावना बनाये रखते हुए निपटाने के उद्देश्य से यह ऑफर देते हैं कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 ठाकुर केशवदेव जी के सम्बद्ध कटरा केशवदेव की उक्त भूमि, कि जिस पर अवैध ढ़ाँचा मन्दिर तोड़कर खड़ा किया गया है, पर अपना व्यर्थ का क्लेम छोड़कर उसकी ऐवज में ब्रज क्षेत्र (मथुरा), जो कि चौरासी कोसीय परिक्षेत्र में माना जाता है, के उपरान्त उक्त ढाँचे के नीचे की नाप की भूमि की ऐवज में उतनी या उससे डेढ़ गुनी भूमि उक्त चौरासी कोसीय परिक्रमा के पश्चात प्रतिवादी सं. 1 व 2/मुस्लिम पक्ष को देने हेतु तैयार हैं ताकि यह विवाद आपसी समझ–बूझ व शान्ती से निस्तारित हो जावे और गंगा–जमुनी सामाजिक सद्भावना यथावत् बनी रहे।

अतः निवेदन है कि न्यायहित में प्रार्थनापत्र में ऊपर उल्लिखित तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत वादी सं. 5 महेन्द्र प्रताप सिंह एडवोकेट की ओर से प्रस्तुत ऑफर पर प्रतिवादी सं. 1 व 2 विचार कर तत्सम्बन्ध में अपनी सहमति पत्रावली पर प्रस्तुत करें तो उक्त ऑफर को मूर्त रूप दिया जाकर प्रकरण का समापन कराया जा सके।

दिनांकः 22.06.2021

प्रार्थी/वादीगण

द्वारा/अधिवक्ता

(i) महेन्द्र प्रताप सिंह, एडवोकेट (वादी सं. 5)
अध्यक्ष श्रीकृष्ण जन्म भूमि मुक्ति आन्दोलन समिति

(ii) राजेन्द्र माहेश्वरी, एडवोकेट (अधिवक्ता वादीगण)

(iii) सोरभ गोड